

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-02/प्र0 HSRP (विविध)-05/2016 परि0 6209

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक- 19/10/16

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) वाद सं0 510/2005 से उद्भूत अवमानना वाद सं0 483/2013 में दिनांक 13.07.2016 को एवं अन्य वादों में पारित HSRP योजना का प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आदेश पारित किया गया है।

HSRP योजना के क्रियान्वयन में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्राधिकृत Vendor की आवधिक जाँच, इस आशय से किया जाना आवश्यक है कि उनके पास इस हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है अथवा नहीं। स्थलीय, कार्यबल, उपकरण तथा कार्य निसपादन की क्षमता तथा प्रगति प्रतिवेदन की जाँच हेतु निम्न प्रकार से एक समिति का गठन किया जाता है--

- (1) संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना-अध्यक्ष
- (2) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना-सचिव
- (3) श्री अमिताभ, मोटरयान निरीक्षक, पटना-सदस्य

समिति, मुख्यालय से सभी वांछित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर पटना एवं मुजफ्फरपुर जिलों में मेसर्स उत्सव सेफटी सिस्टम के आधारभूत संरचनाओं की जाँच सम्पन्न करते हुए समेकित जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेगा।

प्रधान सचिव X.16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-02/प्र0/विविध-05/2016 6209 दि 19/10/16
प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, श्री अमिताभ, मोटरयान निरीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-02/प्र0/विविध-05/2016 6209 दि 19/10/16
प्रतिलिपि:- मेसर्स उत्सव सेफटी सिस्टम, पटना / मेसर्स उत्सव सेफटी सिस्टम, F-48, मायापुरी, फेज-2, नई दिल्ली, Email-info@utsavhsrp.com को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।